न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फुलियाकलॉ जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री भॅंवरलाल कासोटिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
56 / 2016 / वाद पत्र	04.03.2016	20.02.2019

उनवान

काना उर्फ कन्हैयालाल पिता गोकल खाती निवासी नई अरवड तहसील फुलियाकलॉ
– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् जिलाधीश महोदय ,भीलवाडा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फुलियाकलॉ
3. रामदेव हरीप्रसाद पिता सुवा रेगर निवासी नई अरवड तहसील फुलियाकलॉ
4. मनीराम मु0 लादू कीर निवासी अरवड तहसील फुलियाकलॉ

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर0टी0ए0

उपस्थित :– 1. श्री त्रिलोकचन्द नोलखा : अधिवक्ता वादी
2. श्री राजेश वर्मा : अधिवक्ता वादी

निर्णय

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम बडला पटवार हल्का अरवड जिला भीलवाड़ा मे वादी के कब्जे एवं खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर 395 / 203 रकबा 2 बीघा आवण्टन हुई । और वादी ने आ0न0 398 / 203 रकबा 3 बीघा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की गई । इसी प्रकार इसी गॉव में सुवालाल पिता हीरालाल रेगर व लादूलाल पित चन्द्रा कीर को भी क्र0सं0 398 / 203 रकबा 3 बीघा 396 / 203 रकबा 3 बीघा आराजीयात अलोट होकर सेटलमेन्ट से पूर्व गैर खातेदारी से दर्ज रिकार्ड हुई। इसी अनुसार वक्त अलोटमेन्ट से अलोटी काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

सेटलमेंन्ट के बाद की राजस्व रिकार्ड की स्थिति वादी के खाते की निम्नानुसार बताई गई है । आ0न0 163 रकबा 0.51 हैक्टर, आ0न0 158 रकबा 0.25 हैक्टर, 159 रकबा 0.51 हैक्टर कुल किता –5 रकबा 1.27 हैक्टर व प्रतिवादी सुवालाल पिता हीरालाल रेगर के नाम आ0न0 155 रकबा 0.45 हैक्टर , आ0न0 156 रकबा 0.31 हैक्टर किता –2 रकबा 0.76 हैक्टर व प्रतिवादी लादूलाल पिता चन्द्रा कीर के नाम आ0न0 162 रकबा 0.76 हेक्टर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

वर्तमान में मौकेंनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 3 लगायत 4 का कब्जा निम्नानुसार बताया गया है।

वादी आराजी		प्रतिवादी सुवा रेगर		प्रतिवादी लादू कीर	
आ0न0	रकबा	आ0न0	रकबा	आ0न0	रकबा
163 मेंसे	0.15	155	0.45	162 मेंसे	0.16
164 मेंसे	0.10	163 मेंसे	0.20	161	0.52
162 मेसे	0.26	165 मेंसे	0.11	164 मेंसे	0.08
159 पूर्ण	0.51	किता –3 रकबा 0.76		किता –3 रकबा 0.76	
162 मेंसे	0.25				
किता 5 रकबा 1.27 हेक्टर					

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 27.02.2006 को प्रतिवादी नं0 3 सुवालाल पिता हीरालाल रेगर का पुत्र श्री रामदेव हरिप्रसाद ने प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि हमारे पिता जी की मृत्यु दिनांक 11.12. 2005 को व माता की भी मृत्यु हो चुकी है। जिनके जायन्दा वारीस रामदेव हरिप्रसाद पिता सुवालाल रेगर ही है जिनका नाम जमाबन्दी की नकल सम्वत् 2066 से 2069 की खाता सं0 152 में आ चुका है। और प्रतिवादी सं0 4 लादूलाल पिता चन्द्रा कीर की मृत्यु होने से खाता मनीराम मु0 लादू कीर के नाम राजस्व रिकार्ड में आ चुका है। रिपोर्ट पटवारी हल्का अरवड अनुसार ग्राम बडला के आ0न0 163/1 रकबा 0.15, 164/1 रकबा 0.10 , 162/1 रकबा 0.26 , 162/2 रकबा 0.25, 159 रकबा 0.51, किता –5 कुल रकबा 1.27 हैक्टर वादी का कब्जा काश्त है। और प्रतिवादीगण रामदेव हरिप्रकाश पिता सुवालाल रेगर के आ0न0 155 रकबा 0.45, 163/3 रकबा 0.20, 165/1 रकबा 0. 11 किता –3 कुल रकबा 0.76 हैक्टर व प्रतिवादी मनीराम मु0 लादू कीर के आ0न0 161 रकबा 0.52 , 162/3 रकबा 0.16 164/2 रकबा 0.08 किता–3 कुल रकबा 0.76 हैक्टर पर कब्जा काश्त है। व आ0न0 158 रकबा 0.[illegible]5, 162/4 रकबा 0.09, 163/2 रकबा 0.16 , 156 रकबा 0.31, किता – 4 कुल रकबा 0.81 हैक्टर भूमि को खातेदार से बिलानाम का0 काश्त दर्ज करना है। व आ0न0 161 रकबा 0.52, 164/2 रकबा 0.08, 165/1 रकबा 0.11, 164/1 रकबा 0.10 किता –4 कुल रकबा 0. 81 हैक्टर को बिलानाम सरकार से खातेदार के नाम दर्ज करना है।

उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगणों का मौके पर कब्जा वर्षो से चला आ रहा है। इस अनुसार वादी व प्रतिवादीगण कब्जेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित होने हेतु सहमत व रजामन्द होना स्वीकार किया है।

वाद पत्र मे अंकित तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं राजस्व रेकार्ड व रिपोर्ट पटवारी का अवलोकन किया गया।

जिसके अनुसार ग्राम बडला के आ0न0 163/1 रकबा 0.15, 164/1 रकबा 0.10 , 162/1 रकबा 0.26 , 162/2 रकबा 0.25, 159 रकबा 0.51, किता –5 कुल रकबा 1.27 हैक्टर वादी के नाम दर्ज किया जाना है। और प्रतिवादीगण रामदेव हरिप्रकाश पिता सुवालाल रेगर के आ0न0 155 रकबा 0.45, 163/3 रकबा 0.20, 165/1 रकबा 0.11 किता –3 कुल रकबा 0.76 हैक्टर व प्रतिवादी मनीराम मु0 लादू कीर के आ0न0 161 रकबा 0.52 , 162/3 रकबा 0.16 164/2 रकबा 0.08 किता–3 कुल रकबा 0.76 हैक्टर के नाम दर्ज किया जाना उचित बताया है। व आ0न0 158 रकबा 0.25, 162/4 रकबा 0.09, 163/2 रकबा 0.16 , 156 रकबा 0.31, किता – 4 कुल रकबा 0.81 हैक्टर भूमि को खातेदार से बिलानाम का0 काश्त दर्ज करना है। व आ0न0 161 रकबा 0.52, 164/1 रकबा 0.10, 164/2 रकबा 0.08, 165/1 रकबा 0.11 किता –4 कुल रकबा 0.81 हैक्टर को बिलानाम सरकार से खातेदारों के नाम दर्ज करना उचित बताया है। अतः वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम बडला की जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के आ0न0 163/1 रकबा 0.15, 164/1 रकबा 0.10 , 162/1 रकबा 0.26 , 162/2 रकबा 0.25, 159 रकबा 0.51, किता –5 कुल रकबा 1.27 हैक्टर वादी के नाम दर्ज किया जाना है। और प्रतिवादीगण रामदेव हरिप्रकाश पिता सुवालाल रेगर के आ0न0 155 रकबा 0.45, 163/3 रकबा 0.20, 165/1 रकबा 0.11 किता –3 कुल रकबा 0.76 हैक्टर व प्रतिवादी मनीराम मु0 लादू कीर के आ0न0 161 रकबा 0.52 , 162/3 रकबा 0.16 , 164/2 रकबा 0.08 किता–3 कुल रकबा 0.76 हैक्टर के नाम व आ0न0 158 रकबा 0.25, 162/4 रकबा 0.09, 163/2 रकबा 0.16 , 156 रकबा 0.31, किता – 4 कुल रकबा 0.81 हैक्टर भूमि को वादी व प्रतिवादीगणों से बिलानाम का0 काश्त दर्ज करना है। व आ0न0 161 रकबा 0.52, 164/1 रकबा 0.10, 164/2 रकबा 0.08, 165/1 रकबा 0.11 किता –4 कुल रकबा 0.81 हैक्टर को बिलानाम सरकार से वादी व प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तरमीम शुदा नक्शा निर्णय का हिस्सा रहेगा । डिक्री जारी हो। डिकी की पालना हेतु तहसीलदार फुलियाकलॉ को आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 20.02.2019 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(भॅवरलाल कांसोटिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फुलियाकलॉ(भीलवाडा)